26/10/21

पत्रावली पेश हुई। वरिष्ठ उपायुक्त उत्तर
वरिष्ठ उपायुक्त ने उपलब्ध रिकार्ड अनुसार
आवेदक कि कब्जा हेतु निर्गत निवासायक
मुताबिक बुर्जी प्राप्त ब्यौरावार रिपोर्ट को
आधार पर अर्जेन्ट डिक्री जारी करने हेतु
निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन
किया। तहसीलदार जयपुर के पत्र क्रमांक
3884 दिनांक 21/10/21 के द्वारा ब्यौरावार रिपोर्ट
प्राप्त हो चुकी है वरिष्ठ उपायुक्त मुताबिक
तहसीलदार से प्राप्त ब्यौरावार रिपोर्ट मिलान
है अतः मुताबिक ब्यौरावार रिपोर्ट क्रमांक
3884 दिनांक 21/10/21 के अनुसार अर्जेन्ट
डिक्री जारी करना उचित समझता हूँ। मुताबिक
प्राप्त तहसीलदार जयपुर क्रमांक 3884 दिनांक
21/10/2021 अर्जेन्ट डिक्री जारी की जाकर/तहत
पालना हेतु तहसीलदार जयपुर को लिखा जावे
की जावे। पत्रावली [illegible] के वास्ते [illegible]
[illegible] इजरा दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.11.17 15:09:37 IST
Reason: SelfAttested

...प बरार (आर.ए.एस.)
... कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

...यालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर प्रथम, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : अरशदीप बरार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 126/2013

तेजाराम
रूडाराम पुत्र मोहरू जाति जाट निवासी ग्राम सांचोती तहसील व जिला जयपुर।
कालूराम पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी चम्पापुर तहसील व जिला जयपुर।

.....................वादीगण

बनाम

लोकेन्द्र कंवर पत्नि रघुवराजसिंह जाति राजपूत हाल निवासी लोरडी कृषि फार्म ग्राम चम्पापुर तहसील व जिला जयपुर।

2. श्रीमती राजकुमारी पत्नि गजानन्द बडाया जाति महाजन निवासी प्लांट नम्बर 15 रघुनाथ कॉलोनी झोटवाडा, जयपुर।
2. भागचन्द
3. हनुमान सहाय
4. बोदूराम
5. गोपीरारम

समस्त पुत्रान् कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम चम्पापुर तहसील जिला जयपुर।

7. छोट्या पुत्र मांग्या जाति जाट निवासी ग्राम चम्पापुर तहसील जिला जयपुर।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 23/09/2021

वकील वादी द्वारा दिनांक 13.09.2013 को एक वाद पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया ...कर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई । वाद का सार निम्नानुसार है:– कृषि भूमि खसरा ...र 178 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा वाकेग्राम चम्पापुर तहसील व जिला जयपुर में स्थित है। ... भूमि विवादग्रस्त जो वाद पत्र के [illegible] में वर्णित है यह कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड ... [illegible] ...वादीगण नम्बर 1 लगायत 7 ...शामलाती कृषि भूमि दर्ज है इस कृषि भूमि में वादी [illegible] ... जिसमे वादी संख्या ... कृषक हैं। कृषि भूमि विवादग्रस्त जो कि वादी [illegible] ... हिस्सा व वाद संख्या 3 कालू ...व वादी संख्या 2 का 31/505+303/1265 = 38446/[illegible] ... प्रतिवादी संख्या ...लोकेन्द्र कंवर का 5165/25553 ... जगन्नाथ का 23/1265 हिस्सा दर्ज व प्रतिवादी संख्या [illegible] ... हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजकुमारी का 2022/25553 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 ...सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजकुमारी का 2022/25553 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 छोट्या का हिस्सा 1/5 दर्ज हैं तथा ...गायत 6 का हिस्सा 1/5 एवं प्रतिवादी संख्या 7 छोट्या का हिस्सा 1/5 दर्ज हैं तथा ... के अनुसार ही भूमि का पूर्व में मनबट के अनुसार ...कारन अपने अपने उक्त वर्णित हिस्सो के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.11.17 15:09:37 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
...प्रथम

के पर भूमि का बॉहमी विभाजन कर रखा हैं। व विभाजन में आई हुई अपने–अपने हिस्से की मि पर काबिज व काश्त है तथा कृषि कार्य कर फसल का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। तिवादी नम्बर 1 लगायत 7 काफी सम्पन्न व शक्तिशाली है तथा वे शामलाती भूमि विवादग्रस्त र गैर कानूनी रूप से बिना कानूनी रूप से बिना भूमि को कनवर्ट कराये व बिना विधिवत् भाजन करवाये आवाशीय कॉलोनी बसाना चाहते है तथा वादीगण को कब्जे काश्त करने में धा पहूचाते है भूमि विवादग्रस्त जो कि राजस्व रिकार्ड में अविभाजित भूमि हैं पर वादी का ान्तिपूर्वक काश्त करना दूभर हो गया है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि पर काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने लग गये है तथा आये दिन वादीगण को अपने हक व हिस्से कि भूमि से बेदखल करने की धगकिया देने लग गये है। दिनांक 01.08.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ भूमि विवादग्रस्त पर आये तथा जो अपने आप को बड़े प्रोपर्टी डिलर बता रहे थे तथा वे आपस में भूमि का विक्रय करने व भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी बनाने की वार्तालाप करने लग गये वादीगण ने उनसे पूछा तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी की हम इस विवादग्रस्त भूमि को इन प्रोपर्टी डिलर्स को कॉलोनी बनाने हेतु विक्रय कर रहे है तथा अब हम तुमको भी स कृषि भूमि पर कृषि नही करने देगें, तुमको बेदखल करेंगें। प्रतिवादी नम्बर 8 तहसीलदार जयपुर लैण्ड होल्डर हैं जिनको विभाजन के बाद मे आवश्यक पक्षकार होने से तरतीबी पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवाादीगण किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति संस्था आदी को विक्रय स्थानांतर नही करें। भूमि को कृषि भूमि से अकृषि में परिवर्तीत नही करें, अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी नही बनाये ना ही किसी प्रकार का निर्गाण करें , ना ही प्लॉट काटे, ना ही पेड़–पौधे नष्ट करे, व राजस्व रिकॉर्ड व मौके कि यथा स्थिति बनाये रखे उपरोक्त सभी कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति, एजेण्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन आदि से करावें।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब दिनांक 09.01.2014 को , प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 व 6 का जवाब दिनांक 13.06.2014 व प्रतिवादी संख्या 7 की ओर जवाब दावा दिनांक 27.03.2015 को पेश किया। वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, व 6 के जवाबुल जवाब दिनांक 08.10.2014 पेश किया गया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वकालतनामा 09.01.2014 , प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का वकालतनामा दिनांक 13.06.2014 व प्रतिवादी संख्या 7 का वकालतनामा 22.12.2014 को पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में दिनांक 11.03.2015 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई । मुताबिक निर्णय व डिक्री दुर्रेजात हेतु इस न्यायालय के पत्रांक 664 दिनांक 19.03.2015 की पालना में तहसीलदार जयपुर के पत्र क्रमांक 1372 दिनांक 16.04..2015 के द्वारा प्राप्त हुई । माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 24.06.2016 के द्वारा प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रांरम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2015 को यथावत रखा गया जिसकी प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील दायर की गई। माननीय राजस्व मण्ड़ल अजमेर के निर्णय दिनांक 15.02.2018 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.03.2015 व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2016 को अपास्त किया गया है एवं अधिनस्थ परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया गया कि निर्णय दिनांक 15.02.2018 के बिन्दु संख्या 8 में दिये गये अनुसार व पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर तनकी बनायी जाकर एवं उभयपक्षों को सुनकर प्राथमिक रूप से ... प्रकरण में आगे कार्यवाही करें। उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्षों द्वारा उक्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन होना बताया गया है। तत्पश्चात दिनांक 28.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रकरण में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.11.11 15:39:37 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमती होने से तकासमा करवाना चाहते है एवं दोनो के मध्य राजीनामा होना बताया गया है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब पूर्व में प्राप्त हो चुका है जिसमें उन्होनें प्रकरण में प्राथमिक निर्णय एवं डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया जा चुका है। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने दिनांक 28.07.2021 को उपस्थित होकर सहमती प्रकट की कि पूर्व में प्राप्त कुर्रेजात रिपॉर्ट मुताबिक प्रकरण में अन्तिम निर्णय एवं डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन/मनन करने पर व वकील उभयपक्षों की बहस व पत्रावली में मौजूद दस्तावेज़ो का बघोर अवलोकन करने पर पाया की माननीय राजस्व मण्ड़ल निर्णय दिनांक 15.02.2018 में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.03.2015 एवं माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 24.06.2016 को अपास्त किया गया है ऐसे में तहसीलदार जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात कमांक 1372 दिनांक 16.04..2015 को निरस्त माना गया है अतः पूर्व में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मुताबिक प्रकरण में अंतिम डिकी किया जाना अनुचित है।

दिनांक 21.09.2021 को पेश होकर उभयपक्षों ने वाद में प्राथमिक डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का पूर्ण मनन कर पाया गया कि वाद में सभी सहखातेदारों को पक्षकार बना तामील करवाई गई है व सभी पक्षकारों ने जवाब/प्रार्थना पत्र जरिए वाद में प्राथमिक डिकी जारी करने हेतु सहमती प्रदान की है। अतः हम प्रकरण में प्रारम्भिक डिकी जारी करना उचित समझते हैं। तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा वाकेग्राम चम्पापुरा तहसील व जिला जयपुर को सभी पक्षकारान की मौजूदगी में राजस्व विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुये बाई मिटस् एण्ड़ बाउण्डस् के आधार पर , कच्चे–पक्के निर्माण अनुसार व कब्जेनुसार कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे की 3 प्रतियों में नियत तारिख पेशी दिनांक 06/10/2021 से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करें।

श्रीमती अरशदीप बराड़
(आर.ए.एस.)
सहायककलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.11.17 15:09:37 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)**

तेजाराम **बनाम** **लोकेन्द्र**

वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा 126/2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती अरशदीप बराड व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है मुताबिक तहसीलदार जयपुर के पत्रांक 3884 दिनांक ...10.2021 के द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर ग्राम चम्पापुरा, पटवार क्षेत्र सरनाचौड, अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालवाड, तहसील जयपुर जिला जयपुर में

क्र0सं0	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
	राजकुमारी बडाया पत्नी गजानन्द बडाया जाति महाजन निवासी प्लाट नं0 15 रघुनाथ कॉलोनी झोटवाडा जयपुर	178	0.2531	बा.3	–
	छोट्या पुत्र मांग्या जाति जाट सा0देह	178/2	0.6399	बा.3	–
	गोपीराम, बोदूराम, भागचंद हनुमान सहाय पि0 कल्याण जाट सा0देह	178/1	0.6399	बा.3	–
	कालूराम पुत्र जगन्नाथ जाट सा0देह	178/3	0.0582	बा.3	–
	...राम पुत्र मोहरू जाट सा0देह	178/4	0.4814	बा.3	–
	...जाराम पुत्र मोहरू जाट सा0देह	178/5	0.4814	बा.3	–
	...लोकेन्द्र कंवर पत्नी रघुराज सिंह जाति राजपूत निवासी लोरडी हाउस बापू बाजार जयपुर	178/6	0.6456	बा.3	–

...की डिक्री जारी की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.11.17 15:09:37 IST
Reason: SelfAttested

.... खर्चा

.... मुबलिग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से

...मय सूद बशरह .... का अदा करे।

...की तक ....

...दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26/10/21 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)

ओहदा ..... सहायक कलक्टर